[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

Notification
No. 45/2018-Customs (N.T.)

New Delhi, the 24 May, 2018

G.S.R.--(E). - In exercise of the powers conferred by clause (k) of section 157, read with section 99A and clause (ii) of sub-section (2) of section 158, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the On-site Post Clearance Audit at the Premises of Importers and Exporters Regulation, 2011, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Customs Audit Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) **"Act"** means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "**audit**" includes examination or verification of declaration, record, entry, document, import or export licence, authorisation, scrip, certificate, permission etc., books of account, test or analysis reports, and any other document relating to imported goods or export goods or dutiable goods, and may include inspection of sample and goods, if such sample or goods are available and where necessary, drawl of samples;

(c) "**auditee"** means a person who is subject to an audit under section 99A of the Act and includes an importer or exporter or custodian approved under section 45 or licensee of a warehouse and any other person concerned directly or indirectly in clearing, forwarding, stocking, carrying, selling or purchasing of imported goods or export goods or dutiable goods;

(d) "**audit report"** includes the audit findings in the report prepared after the audit containing details about objections raised by the proper officer and explanation given by the auditee, if any;

(e) "**books of account"** includes ledgers, day-books, cash books, account-books, other accounts related record whether kept in written or printed form or stored electronically;

(f) "**electronic records"** means data or record stored in any form and manner relevant for the purpose of Audit under section 99A of the Act;

(g) "**premises"** includes the registered office, branch office, warehouse, factory, or any other premises at which, imported goods or export goods or dutiable goods or books of account or records of transaction or other related documents, in relation to the said goods are ordinarily kept, for any purpose by an auditee.

(h) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act, shall have the same meaning respectively, assigned to them in the Act.

**3. Auditee to preserve and make available relevant documents.**- (1) The auditee shall preserve and on request by the proper officer make available in a timely manner, for the purposes

of audit, true and correct information, records including electronic records, documents or accounts maintained in compliance of the provisions of the Act, rule or regulations, made there under or any other law for the time being in force, maintained for a minimum period of five years in relation to imported goods or export goods or dutiable goods.

(2) The auditee shall render assistance to the proper officer and his team of officers in the discharge of their official duty and shall in no case refuse or obstruct the proper officer or his team of officers in discharge of their official duty.

**4. Selection for Audit**. – The selection of auditee or the selection of import declarations or export declarations, as the case may be, for the purposes of audit shall primarily be based on risk evaluation through appropriate selectivity criteria.

**5. Manner of conducting audit.** – (1) The proper officer may conduct audit either in his office or in certain cases at the premises of an auditee.

(2) The proper officer may, where considered necessary, request the auditee to furnish documents, information or record including electronic record, as may be relevant to audit.

(3) The proper officer shall give not less than fifteen days advance notice to the auditee to conduct audit at the premises of the auditee.

(4) The proper officer may, where considered necessary, inspect the imported goods or export goods or dutiable goods at the premises of the auditee or request the auditee to produce sample, if available, with him.

(5) The proper officer shall inform the auditee of the objections, if any, before preparing the audit report to provide him an opportunity to offer clarifications with supporting documents.

(6) Where the auditee is in agreement with the audit findings, he may make voluntary payments of duty, interest or other sums, due, if any, in part or in full and the proper officer shall record the same in the audit report.

(7) Where the proper office has asked the auditee to furnish information, document, record or sample for the purposes of audit, it shall be mandatory for the proper officer to inform outcome of such audit to the auditee.

(8) The proper officer shall complete audit in cases where it is conducted at the premises of the auditee within thirty days from the date of starting of the audit:

Provided that the jurisdictional Commissioner of Customs may extend the period of completion of audit from thirty days to sixty days, by an order in writing.

6. **Assistance of professionals.** - (1) If the proper officer, having regard to the nature and complexity of the audit, is of the opinion that the audit has to be done with the assistance of a professional like Chartered Accountant, Cost Accountant, an expert in the field of computer sciences or information technology etc., may do so, with the previous approval of the Principal Commissioner/Commissioner of Customs.

**7. Penalty.** - Any auditee, who contravenes any provision of these regulations or abets such contravention or fails to comply with any provision of these regulations with which it was his duty to comply, shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand Indian rupees.

**[F.No. 450/100/2017-Cus. -IV (Part-A)]**

Zubair Riaz

(Zubair Riaz)

Director (Customs)

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

**अधिसूचना**

**सं. 45/2018- सीमाशुल्क (गै.टे.)**

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2018

सा.का.नि.........(अ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 99क और धारा 158 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ii) के साथ पठित धारा 157 के उपवाक्य (ट) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऑन-साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट एट द प्रीमीसेस ऑफ इम्पोर्टस एंड एक्सपोर्टस रेग्यूलेशन, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एततद्वारा, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों को सीमाशुल्क लेखा परीक्षा विनियमावली, 2018 कहा जाएगा।
   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है।

(ख) **"लेखा-परीक्षा"** लेखा परीक्षा के दायरे में घोषणा, रेकार्ड, प्रविष्टि, दस्तावेज, आयात या निर्यात लाइसेंस, प्राधिकार पत्र, स्क्रिप, प्रमाण पत्र, अनुमति आदि, बही-खाता, परीक्षण एवं विश्लेषण रिपोर्ट और ऐसे अन्य दस्तावेज जो कि आयातित माल या निर्यात माल या शुल्क वाले माल से संबंधित हो, की जांच या सत्यापन का कार्य आता है और इसमें नमूनों या वस्तुओं का निरीक्षण भी आ सकेगा यदि ऐसे नमूने या वस्तु उपलब्ध हो, इसके अलावा इसमें जहां कहीं भी जरूरी हो नमूनों का लिया जाना भी इसके दायरे में आता है;

(ग) **"लेखा परीक्षार्थी"** से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका इस अधिनियम की धारा 99क के अंतर्गत लेखा-परीक्षा किया जाना है और इसमें ऐसे आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या अभिरक्षी भी आते हैं जो धारा 45 के अंतर्गत अनुमोदित हो और इसमें किसी वेयर हाऊस का लाइसेंसी तथा ऐसा अन्य कोई भी व्यक्ति आ सकता है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयातित माल या निर्यात माल या शुल्क वाले माल की क्लीयरेंस, फोरवार्डिंग, स्टॉकिंग, परिवहन, बिक्री या खरीद से जुड़ा हुआ हो;

(घ) **"लेखा परीक्षा रिपोर्ट"** इसके अंतर्गत लेखा परीक्षा के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में लेखा परीक्षा के वे निष्कर्ष आते हैं जिसमें यथोचित अधिकारी के द्वारा उठाई गई आपति या लेखा परीक्षार्थी के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, से संबंधित ब्यौरे दिए गए हो;

(ङ) **"बही-खाता"** इसमें लेजर, डे-बुक्स, कैश बुक्स, अकाउंट बुक्स या वे अन्य बही-खाते आते हैं जोकि किसी रेकार्ड्स से संबंधित हो चाहे ये लिखित रूप में या मुद्रित रूप में यह इलेक्ट्रानिक रूप में ही क्यों नहीं रखे गए हो;

(च) **"इलेक्ट्रानिक रेकार्ड्स"** इलेक्ट्रानिक रेकार्ड्स से अभिप्राय ऐसे डाटा या रेकार्ड्स से है जो इस अधिनियम की धारा 99क के अंतर्गति लेखा परीक्षा के उद्देश्य से किसी भी रूप या तरीके से रख गए हो;

(छ) **"परिसर"** इसके दायरे में पंजीकृत कार्यालय, ब्रांच ऑफिस, वेयर हाऊस, फैक्ट्री या कोई अन्य परिसर आता है जहां पर कि आयातित माल या निर्यात माल या शुल्क वाले माल या बही-खाता या ऐसे रेकार्ड जो कि संव्यवहार से संबंधित हो या अन्य संबंधित दस्तावेज, जोकि उक्त माल से संबंधित हो, सामान तैयार और लेखा परीक्षा के उद्देश्य से भी रखे जाते हो;

(ज) ऐसे शब्द और अभिव्यक्ति जिनका यहां तो प्रयोग हुआ है लेकिन यहां उनके परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि इस अधिनियम में कहीं परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो इनके लिए इस अधिनियम में दिया गया है।

**3. लेखा परीक्षार्थी का संगत दस्तावेजों को रखने और उनको उपलब्ध कराने का कर्तव्य – (1)** लेखा परीक्षार्थी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में , इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत आयातित माल या निर्यात माल या शुल्क लगाए जाने वाला माल से संबंधित किसी सही सूचना, दस्तावेजा, जिसमें इलेक्ट्रानिक रेकार्ड्स, दस्तावेज, बही-खाता आते हैं को कम से कम 5 साल तक सुव्यवस्थित रखेगा और उनको लेखा परीक्षा के उद्देश्य से यथोचित अधिकारी के कहे जाने पर तथा समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराएगा।

(2) लेखा परीक्षार्थी यथोचित अधिकारी और उसके अधिकारियों के दल की उनके सरकारी कर्तव्य के निर्वाह में मदद करेगा और किसी भी हालत में ऐसे यथोचित अधिकारी या उसके अधिकारियों के दल को अपने सराकरी कर्तव्य का निर्वाह करने से न तो मना करेगा और न ही उसमें अवरोध पैदा करेगा।

**4. लेखा परीक्षा के लिए चयन**- लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के उद्देश्य से किसी लेखा परीक्षार्थी के चयन या आयात घोषणा या निर्यात घोषणा के चयन का कार्य मुख्य रूप से यथोचित चयनात्मक मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर कयिा जाएगा।

**5. लेखा परीक्षा को किए जाने की प्रक्रिया**- (1) यथोचित अधिकारी लेखा परीक्षा के कार्य को या तो अपने कार्यालय में या कतिपय मामलों में लेखा परीक्षार्थी के परिसर में करेगा।

(2) यथोचित अधिकारी जहां भी जरूरी समझे लेखा परीक्षार्थी को ऐसे दस्तावेज, ऐसी सूचना या रेकार्ड, जिसमें इलेक्ट्रानिक रेकार्ड भी आते हैं, को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जो लेखा परीक्षा के दृष्टि से आवश्यक हो।

(3) यथोचित अधिकारी लेखा परीक्षार्थी के परिसर मे लेखा परीक्षा किए जाने के मामले में लेखा परीक्षार्थी को कम से कम 15 दिन की अग्रिम सूचना देगा।

(4) यथोचित अधिकारी जहां भी जरूरी समझे लेखा परीक्षार्थी के परिसर में आयातित माल या निर्यात माल या शुल्क लगाए जाने वाला माल का निरीक्षण कर सकात है और लेखा परीक्षार्थी से और उसके नमूनों को देने के लिए, यदि उसके पास उपलब्ध हो तो, कह सकता है।

(5) यथोचित अधिकारी अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को तैयार करने से पहले लेखा परीक्षार्थी को किसी भी आपत्ति, जो कोई हो के बारे में बताएगा और उसको ऐसी आपत्ति के बारे में सहायक दस्तावेजों के साथ अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा।

(6) जहां कि लेखा परीक्षार्थी लेखा परीक्षा के निष्कर्षों से सहमत है वहां वह ड्यूटी, ब्याज या अन्य कोई राशि जो कि देय हो को पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वेच्छतया भुगतान करेगा और यथोचित अधिकारी अपने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इसको दर्ज करेगा।

(7) जहां कि यथोचित अधिकारी ने लेखा परीक्षार्थी को कोई जानकारीा, दस्तोवज, रेकार्ड या नमूने को लेखा परीक्षा के उद्देश्य से प्रस्तुत करने के लिए कहा होगा वहां यथोचित अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह लेखा परीक्षार्थी को ऐसे लेखा परीक्षा के निष्कर्ष से अवगत कराए।

(8) यथोचित अधिकारी उन मामलों में लेखा परीक्षा के शुरू किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर लेखा परीक्षा के कार्य को पूरा करेगा जहां कि लेखा परीक्षा को लेखा परीक्षार्थी के परिसर में किया गया हो;

बशर्ते कि अधिकार क्षेत्र वाला सीमा शुल्क आयुक्त आने लिखित आदेश से लेखा परीक्षा को पूरा करने की इस अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन भी कर सकता है।

6. **व्यावसायिक व्यक्तियों से सहायता**- (1) यथोचित अधिकारी लेखा परीक्षा की प्रकृति और उसकी जटिलता की दृष्टि से यथोचित अधिकारी की यह राय बनती है कि लेखा परीक्षार्थी के कार्य को किसी व्यावसायिक व्यक्तियों जैसे की चार्टड एकाउंटेंट, कॉस्ट एकाउंटेंट, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि कंप्यूटर सायंस या सूचना प्रौद्योगिकीय के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, की, प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क के पूर्व अनुमोदन, से सहायता ले सकता है।

7. **दंड**- ऐसा कोई भी लेखा परीक्षार्थी जो कि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन को उकसाता है या किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाता है जोकि इसका करना कर्तव्य है तो वह ऐसे दंड जोकि भारतीय रुपए में 5000 तक हो सकता है, का भागी होगा।

[**फा. सं. 450/100/2017-सीमाशुल्क-IV (पार्ट-क)**]

जुबैर रियाज

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमाशुल्क)